न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट–प्रथम, कानपुर नगर।

परिवाद सं०–25206/17

राम जी गुप्ता ..... बनाम .... दुर्गा प्रसाद गुप्ता आदि

15.11.17

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। पूर्व नियत तिथि पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी बहस पर सुना जा चुका है।

प्रस्तुत परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी का विवाह विपक्षी सं० 1 की पुत्री गीता गुप्ता से दिनांक 21.01.17 को हुआ था जो कि एक बार ससुराल आने के पश्चात विदा कराने के बावजूद भी नहीं आयी। मायके जाते समय परिवादी ने उसे पहनने के लिए समस्त जेवरात दिये थे। परिवादी ने धारा 9 हि०वि० अधि० के अंतर्गत मुकदमा प्रमुख पारिवारिक न्यायालय कानपुर नगर में दाखिल किया तो विपक्षीगण दुर्गा प्रसाद गुप्ता, उमा शंकर, बाल कृष्ण गुप्ता उर्फ राहुल एवं श्रीमती राधा देवी को लेकर घर पर आये और गाली गलौज की तथा मुकदमा वापस लेने के बात कहकर मारापीटा। शोर शराबा होने पर परिवादी के पारिवारिकजन व अन्य पड़ोस के लोग आ जाने पर विपक्षीगण पांच लाख रूपया न देने व गीता गुप्ता के नाम आधा मकान न करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने व जान से मारने की धमकी देकर चले गये।

परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० अंकित कराया तथा धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत साक्षीगण पी०डब्लू०–1 मालती गुप्ता, पी०डब्लू 2 लक्ष्मी गुप्ता का बयान अंकित कराया।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना, पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० व साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० व परिवाद पत्र के अवलोकन के आधार पर, प्रस्तुत मामले में विपक्षीगण दुर्गा प्रसाद एवं श्रीमती राधा देवी द्वारा अन्तर्गत धारा– 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं० का अपराध कारित किया जाना प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है। शेष विपक्षी को तलब किये जाने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त आधार नहीं है। विपक्षीगणों को अन्य धारा में तलब किये जाने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त आधार नहीं है।

आदेश

अभियुक्तगण दुर्गा प्रसाद एवं श्रीमती राधा देवी को अन्तर्गत धारा– 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं० के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादी पैरवी अंदर सप्ताह करे। अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्मन जारी हो। पत्रावली दिनांक 04.01.18 को वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण पेश हो।

(कल्पना द्वितीय)
ए०सी०एम०एम०–प्रथम,
कानपुर नगर।